कार्यवाही विवरण

ग्राम–किरारी, क्लस्टर लाईम स्टोन माईन, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में स्थित कुल 02 चूना पत्थर खदानों (गौण खनिज) 01. मेसर्स विनायक मेटल्स एण्ड मिनरल्स, (किरारी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर –श्री राजेन्द्र सिंह), खसरा क्रमांक–821/14, 821/15, 821/17 एवं 821/18, लीज एरिया–1.052 हेक्टेयर, खदान का उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.), 02. मेसर्स मॉ गुरू मिनरल्स (किरारी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर–श्री हेमंत कुमार सिंह), खसरा क्रमांक–729/2, 729/3 एवं 729/6, लीज एरिया–1.643 हेक्टेयर, खदान का उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 13/11/2024 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान–इंदिरा उद्यान, अकलतरा तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की, ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के तहत् सर्वसंबंधित को सूचित किया गया है कि ग्राम–किरारी, क्लस्टर लाईम स्टोन माईन, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में स्थित कुल 02 चूना पत्थर खदानों (गौण खनिज) 01. मेसर्स विनायक मेटल्स एण्ड मिनरल्स, (किरारी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर –श्री राजेन्द्र सिंह), खसरा क्रमांक–821/14, 821/15, 821/17 एवं 821/18, लीज एरिया–1.052 हेक्टेयर, खदान का उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.), 02. मेसर्स मॉ गुरू मिनरल्स (किरारी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर–श्री हेमंत कुमार सिंह), खसरा क्रमांक–729/2, 729/3 एवं 729/6, लीज एरिया–1.643 हेक्टेयर, खदान का उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में **स्थानीय समाचार पत्र नई दुनिया, बिलासपुर में दिनांक 11/10/2024 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 11/10/2024 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 13/11/2024 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–इंदिरा उद्यान, अकलतरा तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14/09/2006 (यथा संशोधित) के

प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु **कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय, जिला पंचायत जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा, महाप्रबंधक, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.),** क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत–किरारी, लगरा, पकरिया, तरौद, नरियरा, बनाहिल, पौना, तिलई, नवागांव, झिलमिला, अर्जुनी, मुरलीडीह, रसेदा, दर्री, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि **13/11/2024 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–इंदिरा उद्यान, अकलतरा तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ श्री आलोक कुमार साहू, प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से पर्यावरण सलाहकार एवं **उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री अमित कुमार द्विवेद्वी** के द्वारा ग्राम–किरारी, क्लस्टर लाईम स्टोन माईन, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में स्थित कुल 02 चूना पत्थर खदानों (गौण खनिज) 01. मेसर्स विनायक मेटल्स एण्ड मिनरल्स, (किरारी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर –श्री राजेन्द्र सिंह), खसरा क्रमांक–821/14, 821/15, 821/17 एवं 821/18, लीज एरिया–1.052 हेक्टेयर, खदान का उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.), 02. मेसर्स माँ गुरू मिनरल्स (किरारी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर–श्री हेमंत कुमार सिंह), खसरा क्रमांक–729/2, 729/3 एवं 729/6, लीज एरिया–1.643 हेक्टेयर, खदान का उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) के परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्रीमती कुलेश्वरी चौहान, किरारी सरपंच** :– हमर गांव मा खदान खुलत हे कोई आपत्ति नई हे, लेबर मजदूरी देना चाहि।

2. **श्री राजेन्द्र कुमार साहू, ग्राम पंचायत–किरारी, उपसरपंच :–** आज के इस जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्राम–किरारी स्थित भूमि क्षेत्रफल 1.052 हेक्टेयर तथा 1.63 हेक्टेयर भूमि पर मेसर्स विनायक मिनरल्स एण्ड मां गुरू मिनरल्स के द्वारा चूना पत्थर खदान खोलना चाहता है, जिस पर मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। यह कि गांव में खदान खुलने से गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। खदान से प्राप्त रायल्टी से शासन से नियमानुसार गांव की विकास तथा क्षेत्र की विकास के लिए पंचायत तथा जनपद पंचायत को गौण खनिज मद के रूप में राशि प्राप्त होता है। जिससे गांव तथा क्षेत्र का विकास होता है। इसलिए मैं उक्त खदान खुलने का समर्थन करता हूॅ। मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत किरारी को खदान मालिक के द्वारा किसी भी धार्मिक कार्य, संस्कृति कार्य किसी भी प्रकार गांव में पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है सब में सहयोग करते है। 1100 रूपये देना या 1200 रूपये दे कृपा करके आप लोग बीच में डिस्टव मत करें। ये शासन में

नियम उल्लंघन है या तो पुलिस व्यवस्था कमजोर है। आप लोग इस तरह से बात कर रहे है। मैं बोल रहा हूॅ तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है।

3. **श्री युवल किशोर कश्यप, ग्राम पंचायत–किरारी** :– सबसे पहले दिक्कत हे हमर गांव म मुनादी नई होय हे साहब, अगर मुनादी होतीस त गांव के मन ला जानकारी मिलतीस। कोनो व्यक्ति नहीं आये हे, और अभी खेती किसानी के दिन हे। खेती किसानी के दिन मा कोई व्यक्ति नहीं आईस हे। ओमा ये जानबूझ कर होवत हे। अउ खदान के खुले से ऐतका कन खदान हे, हमर गांव मा। ओखर बर कोई प्रकार से वायु प्रदूषण बर स्प्रींकलर्स नहीं लगाये जात हे, ब्लास्टिंग होवत हे पूरा घर क्रेक होवत हे। जल स्तर पूरा डाउन हो चुके हे। ऐखर होये से बहुत नुकसान हे। ऐला आप मन ध्यान देवा और सबसे पहले निवेदन है कि ये ग्राम पंचायत में होना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत में नहीं होवत हे तो आप मन के प्रति पूरा विरोध हे, ऐला रद्द करावा ये ग्राम पंचायत–किरारी म होना चाहिए और ये मुनादी नहीं होये हे ग्राम पंचायत किरारी मा। काबर मुनादी नहीं होये हे आप मन बतावा ऐला। सरपंच बैठे हे सरपंच से पूछा का बर मुनादी नहीं होये हे। गांव के आदमी मन ला जानकारी नहीं हे। बिना गांव के जानकारी के यहां जन सुनवाई होवत हे, हमन के पूरा विरोध हे।

4. **श्री अशोक कुमार कश्यप, ग्राम पंचायत–किरारी पंच, वार्ड क्रमांक 12** :– आज के क्रेशर, खदान के लिए जन सुनवाई रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूॅ। क्योंकि उसमें हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलता है, रायल्टी का पैसा आता है, उसमें गांव का विकास होता है।

5. **श्री मोहम्मद इमरान पार्षद, नगर पालिका अकलतरा प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक पिछडा वर्ग प्रकोष्ठ** :–मैं अपनी बाते विस्तार से रखूंगा। अगर आप लोग के पास समय होगा। मेरी बात को सुनियेगा, अगर नहीं होगा तो कार्यवाही को स्थगित कर दीजियेगा। सबसे पहली बात इन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। पूरा झूठ का पुलिंदा है। क्या ये शपथ पत्र ले के यह कह सकते है, यहां डस्ट बनायेंगे यहां उनको हेल्को ब्लास्टिंग के माध्यम से पत्थर उत्खनन करते है और किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर किसी को सुरक्षा हो। जहां पर स्पंदन का सवाल है वहां पर आज तो खदान बंद रखे हुये है। किरारी वाले, तरौद वाले, कल आप आ कर देख लिजिए। हेल्पो ब्लास्टिंग की गूंज से इस इलाके में पूरा गांव हिल जाता है। दूसरी बात ये है ये जन सुनवाई पूरी तरह से अवैध है। जिस गांव में खदान खुल

रहा है उस गांव में जन सुनवाई क्यों नहीं होती। ये इंदिरा उद्यान यहां पर्यटन के लिए है। यह जन सुनवाई केन्द्र बन गया है। आज देखिये इसके पहले भी जन सुनवाई कर रहे है। ये इंदिरा उद्यान जन सुनवाई केन्द्र नहीं है। इनके प्रतिवेदन में कहते है वन संरक्षित क्षेत्र आसपास नहीं है। ये इंदिरा उद्योग वन संरक्षित क्षेत्र है कि नहीं है। ये बताने का कष्ट करेंगे। पर्यावरण वाले अधिकारी यहां पर बैठे है ये लोगे कितने खदानों का निरीक्षण किये है बताने का कष्ट करेंगे। कितने दिन आकर खदान का निरीक्षण किया है बताईये। चूंकि ये पूरा परियोजना का मामला नहीं है। ये आपके विभाग के हरामखोरी का मामला है। इसमें जा के चेक किजीये न यहां पर इंदिरा उद्यान में जन सुनवाई कर रहे है। यहां सामने में राईस मिल लगी हुई है। उसका गंदा पानी यहां इंदिरा उद्यान में आ रहा है, चेक करीये। मैं मुद्दे में बात कर रहा हूॅ। इस मुद्दे में बात नहीं होगी। जन सुनवाई करनी है तो किरारी में कीजिये। पर्यावरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अधिकारी की तनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अधिकारी की तनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता की बात सुनना होगा, सुनना होगा। जनता की बात सुनना होगा, सुनना होगा। पर्यावरण वाले होश में आओ, होश में आओ। (नारे बाजी की गई), कितने खदानों है किरारी में आप बताईये। कितनी खदान का निरीक्षण किया है। वो बात नहीं साहब, ये मेरी बात को सुनिये। आज की जन सुनवाई नहीं है इससे पूरा गांव प्रभावित है। इसलिए मैने पहले चर्चा करने को कहां, जनता को जवाब दीजियेगा। जांच क्यो नहीं होती है बताईये, खदान की पूरी बात सुनना पडेगा। जन सुनवाई हो रही है पूरी तरह से गलत है। आज इस बात को नोट किया जाये, जहां जन सुनवाई होना है उसी गांव में जन सुनवाई हो और वहां के लोगों की बात सुनी जाये। ये क्षेत्र शामिल है, क्या यहां प्रचार–प्रसार किया गया। यहां नहीं किया गया, तो ये जन सुनवाई कैसी है। सब ग्राम के सरपंचो के ग्राम पंचायत को सूचना देना था किसी ग्राम पंचायत में मुनादी नहीं हुई। ये हमारे किरारी के भाई बोल रहे थे कि किरारी में मुनादी नहीं हुई। ये जन सुनवाई कैसी है, ये ढकोसला है। आप बताईये मेरे को आप पढे लिखे आदमी है, अधिकारी हो। पायोनियर माइंस क्षेत्र में आता है बडे उससे बोल रहे है कि हमने पायोनियर विज्ञापन में प्रकाशन कराया। पायोनियर इस क्षेत्र में नहीं आता। इस क्षेत्र में जो अखबार प्रसारित है जिसको लोग पढते है, कि ये जन सुनवाई होना है। ये सारी जनसुनवाई में खदान वालो को संरक्षण प्राप्त है। आप लोग निषपक्ष जन सुनवाई कर नहीं रहे है। इसलिए मैं कहता हॅ जनसुनवाई स्थगित किया जाये, क्योंकि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है वो पूरी प्रक्रिया गलत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूॅ, मैं सबूत दे सकता हूॅ। चलिये मेरे साथ अभी खदानों का निरीक्षण कीजिए। हर मामले में होता है क्षेत्र की बर्बादी हो रही हैं, उसका कौन जिम्मेदार

है। अकलतरा स्टेशन के पास में रेल लाईन के किनारे में खदान है पत्थर उड के यात्रियों को लगता है, इसका कौन सुनवाई करेगा। क्या हम लोग अपराधी है। पूरे गांव में चल के निरीक्षण करीये, कितने गांव में क्रेक लगा है। हमारा यह कहना है पूरी तरह से गलत है। आज तक जितनी भी जन सुनवाई हुआ है उसका पालन हुआ है कि नहीं जवाब दे। इतनी जन सुनवाई किया है कितने का पालन हुआ है। गांव में चलिये कितनी घर पानी सप्लाई के लिए कनेक्शन दिये है? कितने टैंकर चल रही है बताईये? कितने पेड लगा है, अभी हमारे साथ चलिये। किरारी में कितने पेड लगाये है, अकलतरा, तरौद में पेड लगाये है उसको चेक कीजिए। इसको गुमराह करने का काम कर रहे है, इसलिए दूसरे विषय को जोडना पड रहा है। इसलिए हमने आपको कहां कि हमको 5 मिनट का समय दीजिये। हम अपनी बात कहके चले जाते। आज की जन सुनवाई स्थगित कीजिए। किरारी में इसकी दूसरी जन सुनवाई कीजिए। इनका प्रचार–प्रसार पूरी तरह से कराईये। प्रचार–प्रसार कराईये, प्रचार–प्रसार नहीं हुआ है इस बात को नोट कीजिए। (इसको नोट कीजिय, प्रचार–प्रसार नहीं हुआ है ये जन सुनवाई अवैध हो रहा है।) रिकार्डिंग में कीतना छेडछाड होता है आप भी जानते है मैं भी जानता हूॅ। मेरे को मालूम है किस तरह से क्या–क्या चल रहा है। हम तो छांट–छांट के थक गये इनका आंखी नहीं है नहीं दिखता इनको कि इतना अन्याय यहां पर हो रहा है। खूद पर इंसानियत होना चाहिए। सरकार लाखो रूपये तनखा दे रही है और ये जनता का खून चूसे। इसलिए दे रही है कि गरीब जनता की सुरक्षा करें। जनता को सुरक्षा के नाम से क्या हो रहा है जनता को बरगला रहे है, झूठा बना रहे है केवल उद्योग पति को संरक्षण दे रहे है। अकलतरा में साईडिंग चल रही है कितना निरीक्षण किये है, कब निरीक्षण किये है अधिकारी लोग बताने का कष्ट करेंगे। क्लीन कोल को इन लोग एनओसी दिये है। किस निगाह से दिये है बतायेंगे ये लोग। जन सुनवाई गलत है। आज की जन सुनवाई स्थगित किजीए। जन सुनवाई अवैध है। जन सुनवाई किरारी में करीये। इनके यहां प्रचार–प्रसार करीये। स्वीकार कीजिये कि आपसे गलती हुई है। आपने जन सुनवाई यहां किया है प्रचार–प्रसार नहीं हुआ है। जन सुनवाई गलत है। जन सुनवाई के नाम से बोलते है कि हम लोग गांव में टैंकर चलायेंगे, कोई टैंकर नहीं चलता, आप जा के स्पाट को देख लिजीये। कितने इन्होंने बोर खनन करावाये है, कही कोई बोर खनन नहीं हुआ है। ये जो प्रतिवेदन है इसको मैं प्रमाणित कर सकता हूॅ। ये पूरा झूठ का पुलिंदा है। इनसे गिट्टी बनाना है। हेल्को ब्लास्टिंग होती है इससे कईयो के घर के दीवार टूट चुकी है। घरो की कई दिवारें क्रेक्र हो चुकी है। आप को जानकर ताज्जुब होगा कि डी.जी.एम.एस. से अनुमति होना चाहिए। पूरे तरौद–किरारी क्षेत्र में 10

लोगों के पास डी.जी.एम.एस. की अनुमति नहीं है। 100 खदाने चल रही है अगर आप ब्लास्टिंग के समय गांव में रहेंगे। उसकी ब्लास्टिंग की अवाज को सुन लेंगे तो आप दोपहर को खाना नहीं खा सकेंगे। इस तरह ब्लास्टिंग होती है जैसे भूकंम्प आ गया है। उसको कौन सुनने वाला है, आप सभी को बिना सूचना दिये एडीएम साहब को ला के देख लिजिये। आपके सामने सच्चाई आ जायेगी। इतना बड़ा–बड़ा एल्को ब्लास्टिंग हो रही है साहब, पर्यावरण की बात करते है न जितनी खदाने है चेक कर लिजीये। कितनी खदान में पेड लगा है, बता दीजिये। ये चाहे तो कल ये खदान बंद हो जायेगी। सब लोग लिख के दिये है कि 50 पेड़ लगाउंगा, 100 पेड लगाउंगा। 200 पेड लगाउंगा। 10 प्रतिशत पेड मिल जायेगा ना आपकी जो सजा मैं मानने को तैयार हॅू। एक छोटी सी कहानी बता रहा हॅू साहब, आप ने 1000 पेड की बात किया है, आप उस 1000 पेड को देखने जायेंगे तो आपको आंसू आ जायेगा। 100 की संख्या बताई गई, अखबारो में बताया गया कि एस.डी.एम. साहब के नेतृत्व में हमने 100 पेड लगाया है। चलिये 100 पेड मिल जायेगा तो वही पर आप जूता मारियेगा मेरे को। मैं सच्चाई से बोल रहा हॅू मैं मजबूती से इस बात को बोल रहा हॅू। सोनमणी बोरा साहब से वृक्षारोपण कराया गया कहां गया वृक्षारोपण। जितने भी कलेक्टर आये है सिर्फ पर्यावरण के हिसाब से मनोरंजन के लिए बुलाते है कि सर आईये आप वृक्षारोपण कीजिए। आप 15 दिन बाद आईये वृक्षारोपण गायब कितने कलेक्टर आये, कमीश्नर आये, आज उसको एक भी पेड मिल जाये तो उसको बता दीजिये और बता देता हॅू आपको एक बात जितने भी अधिकारी आये है उसी जगह शिलान्यास करते है उसी जगह वृक्षारोपण लगाते है। सरकारी काम खत्म हुआ शाम के बाद वृक्ष मर जाता है। पेपर में छाप कर अधिकारियों को खुश करते है। अब हमारा रायल्टी 10 गुना ज्यादा मिलेगा। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होता। मेरा पुनः निवेदन है पर्यावरण विभाग के अधिकारियों से कि आप लोग जिंदा हो के अपने आंखो का, दिल दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और इस क्षेत्र को बचाने का काम कीजिए। जितना यहां अवैध काम हो रहा है, केवल पर्यावरण विभाग के संरक्षण में हो रहा है। क्लिन कोल का प्लांट लगा है आपकी वजह से लगा है, पर्यावरण विभाग की वजह से। पहले पर्यावरण विभाग हाईकोट गई बाद में जो भी आप लोगों की व्यवस्था बनी आप लोगों ने उसको एनओसी दे दिया। यहां के जितने भी पर्यावरण का सार्टिफिकेट जमा किये है। आप अपने सार्टिफिकेट को ले के ईमानदारी से सारी खदानों को चेक कर लिजीये। अगर 10 खदान चल जायेगी। तो कहना निर्णय क्या हुआ सर, निर्णय क्या हुआ सर, अभी निर्णय नहीं हुआ सर, ये अवैध सुनवाई हो रही है, किरारी में होना चाहिए तो यहां क्यों हो रहा

है। प्रचार–प्रसार नहीं हुआ तो क्यों हो रहा है। सब बोलेंगे और रात तक रूकेंगे। जितने आये है रात तक रूकेंगे इसू नहीं है।

6. **श्री सुमित प्रताप सिंह** :– आज जो यहां पर जन सुनवाई हो रही है। वह क्षेत्र हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में आता है। मेरी पत्नी वहां पर अभी जिला पंचायत की सदस्य है और पर्यावरण उद्योग विभाग की जिला पंचायत की सदस्य भी है और मैं आप को बताना चाहता हूॅ यहां पर ये खदान खुलने वाला है वो पूरा का पूरा क्षेत्र खदान एरिया के अंतर्गत आता है। लगभग एक भी जमीन वहां पर किसानों की है न पर्यावरण किसी भी प्रकार से नुकसान होते दिखता है। यहां पर भले ही लोग बोल रहे है, क्षेत्र हम लोगों का है। पर्यावरण नियमों का सभी लोग पालन नहीं करते है। किरारी–तरौद के खदानों से गौण खनिज का पैसा आता है। नगर पालिका तक का आता है। हम लोग को, बढावा देना चाहिए। हम लोगों के गांव में सड़क बनेगा। छोटे–छोटे खदान संचालित होना चाहिए। 40 डिसमिल रायल्टी लेकर काम करते थे। चारो तरफ खदान नहीं खुलना चाहिए। विरोध करते है समझ से परे है। कही का आदमी हो आकर रायल्टी ले रहा है 4 लोगो को रोजगार मिल रहा है पेड़–पौधे लगाये है पेड़ों का रख रखा नहीं होता है केशव कुंज यही गौण खनिज के पैसे से लगा हुआ है। 500 पेड़ बचा है। आगे संयंत्र लग रहा है। पेड़ लगाये, रोजागार किरारी–तरौद–बनाहिल के लोागों को दे। खदान खुलना चाहिए। मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में खदान खुलेने का समर्थन करते है। मैं 25 गांव की ओर से समर्थन करता हूॅ खदान खुलना चाहिए।

7. **श्री उत्तम कश्यप, ग्राम–किरारी** :– जैसा कि आप लोगों ने यह रखा हुआ है जन सुनवाई, मेरी मंशा ये औचित है यहां रखने का, जो भी जन सुनवाई है जिस ग्राम क्षेत्र में आता है वही रखना चाहिए। आज कल खेती किसानी का काम चल रहा है। ज्यादा लोग आते नहीं है मुनादी नहीं हुआ है न कुछ हुआ है पहला चीज, दूसरा चीज यहां रोजगार का आप तो जानते नहीं है आप तो कुर्सी में बैठे रहते है, क्षेत्र में किसको कितना काम मिल रहा है। आप जाईये खदानों में देखेंगे कितना बडा–बडा जेसीबी चल रहा है। हीटेजी चल रहा है, जेसीबी चल रहा है, टीपर चल रहा है, ट्रेक्टर का काम चलेगा तो तभी लेबर को रोजगार मिलेगा। ट्रेक्टर का काम चलेगा तो तभी लोगों को काम मिलेगा और क्या लोग 150 रूपये मजदूरी में जायेंगे क्या। काम दिलाना है तो अच्छे से दिलाओ ना जो पढे लिखे है उनको भेज देंगे 200 रूपये मजदूरी में आप पढे लिखे है आप कमा रहे है। बच्चे क्या करेंगे अभी जितने

बच्चे स्कूल का दावा कर रहे है, खोलेंगे क्या। लाफार्ज एक ठोक स्कूल नहीं खोल पाईस हे। हॉस्पिटल नहीं खोल पाया है। आपको लगता है अच्छा है। आपके बच्चे तो पढ रहे होंगे डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में लोकल आदमी क्या सरकारी स्कूल गये हो कभी, आप अधिकारी हो गये है। क्या मिलता है देखे है नहीं देखे है। आपको क्या करना है जमीन स्तर में काम नहीं करना चाहते है। आपको पैसा मिल जा रहा है कही से आपको वो नहीं लगा रहा है। एक बात बता रहा हूॅ। पैसा मिल जा रहा है आपको कुछ करना नहीं है। अधिकारी को खरीद लेते है, पर्यावरण अधिकारी को खरीद लेते है हो जाता है सेटलमेंट, पंचायत को खरीद लेते है। लोकल आदमी थोडी जी, आप बोल रहे हो रोजगार, कहां से रोजगार देंगे आप। आप ही बताओ आप पढे लिखे हो, एसडीएम, असिस्टेंट कलेक्टर जो भी हो आप बताओ रोजगार कहां से मिलेगा। आप अपने अनुमान से बताईये आप कैसे रोजगार देंगे। खदान खुलेगा तो आप बताईये। आप सुनने के लिए बैठे, आप बताईये। कैसे रोजगार देंगे। मैं पर्यावरण की बात करता हूॅ आप कितने बार किरारी गये है, तरौद गये है, जवाब दिजीये। मैं आप से पूछ रहा हूॅ जवाब दीजिये ना। मैं कोई आपसे तूतू मैं–मैं नहीं कर रहा हूॅ। मैं सच्चाई पूछ रहा हूॅ कि कितने बार किरारी माइंस गये है। पर्यावरण की बात कर रहा हूॅ। बताईये सर आप पर्यावरण अधिकारी है जो भी है आप, कितने बार गये है। आपको तो एसी में रहना है हम लोग जायेंगे शिकायत ले के आज आता हूॅ, कल आता हूॅ, मिटिंग बैठाईये। अधिकारी जायेंगे निरीक्षण, अभी तो कलेक्टर में दिया था लेटर, सडक बनवाने कौन निरीक्षण करने आया कोई नहीं आया सर, क्या मतलब है सर? मैं पर्यावरण की बात करता हूॅ पर्यावरण में आप अनुमति दिये होंगे न, कितने पेड लगाये होंगे खदान वालो को, क्रेशर वाले? कितने पेड लगाते है। ये दावा कर रहे है इतने पेड लगायेंगे। रद्‌दी भर पेड नहीं लगायेंगे। पेड नहीं लगाये है किरारी में न तरौद में। कही गये है आप आपको जाने से तो मतलब नहीं है। जन सुनवाई कर रहे है किरारी गांव में जाओ। जन सुनवाई कर रहे है ना अपने यहां गौठान है वहां क्षेत्र में पता चलेगा कि जन सुनवाई कहां की जाती है। गौठान में कराईये आपको पता चलेगा धूल डस्ट, पेड–पौधे का पता चलेगा। कितना पौधा रोपण हुआ है क्या हुआ है। रोजगार की कोई बात नहीं कर रहे है। पर्यावरण की कोई बात ही नहीं कर रहे है। मशीन तो बड़ी–बड़ी लगी है। क्या होगा, जन सुनवाई तो पूरा अवैध है। यहां पर कोई मतलब नहीं है। जहां का एरिया है वहां जन सनुवाई कराईये न जी। मैं पूरा तहे दिल से विरोध करता हूॅ।

8. **श्री ललित चौबे, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक प्रतिनिधि** :– हमारे क्षेत्र में रोजगार की बहुत कमी है। लेकिन हमर क्षेत्र में अगर रोजगार मिलही तो प्लांट खोले जाईही। जो भी क्रेशर लागाये जाही। अगर रोजगार नहीं देही। तो बहुत बड़े–बड़े प्लांट खुल जाये। हमर क्षेत्र मा गाडी मत जाये। हमन बिल्कुल विरोध करीहव। पूर्ण रूप से मैं विरोध करीहव। अभी खदान खोलत था अभी रोजगार मिलही तो करावा। ऐखर बिल्कुल विरोध होही खुल के विरोध होही। हमारे क्षेत्र के आदमी को रोजगार मिलही, खुलकर विरोध होही। कोई मतलब नहीं है। बड़े–बड़े कोल वॉशरी अकलतरा में खुल रहे है। रोजगार मिलही तो खोलिहा नही तो झन खोलिहा। पूर्ण विरोध करत हव।

अवैध सुनवाई बंद करो, बंद करो के नारे लगाये गये। पर्यावरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगाये गये। जन सुनवाई बंद करो, बंद करो के नारे लगाये गये। (श्री मोहम्मद इमरान के द्वारा)

9. **डॉ हेमंत कश्यप, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष** :– बडा दुर्भाग्य का विषय है सबसे पहला सुनवाई हो रहा है हमारे गांव में होनी चाहिए। सुनवाई यहां पर हो रही है वो उचित नहीं है जहां प्लांट या मांइस खुल रहा है वहां सुनवाई होनी चाहिए। ये बडा दिक्कत का विषय है। साहब ने कहा था यहां पर खदान की ही जमीन है कृषक की जमीन नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा कि उस लोकेशन में मेरी भी जमीन है 2.0 एकड की है जिसको महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के संग मेरा हाईकोर्ट में झगडा चल रहा है यहां पर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है यहां पर, मैं किसान हूँ 2.0 एकड की जमीन है भाई, मैं तो डाक्टर हूँ स्वास्थ्य से संबंधित ट्रीटमेंट करता हूँ जाहीर करूंगा ही करूंगा, यहां पर बहुत सारे लम्स के प्रॉबलम्स देखने के लिए मिल रहे है। हमारे किरारी के मरीज है। उनको सिलोकोशिश नाम की बीमारी हो रही है। इसकी जांच कराई जाये। ये प्लांट खुल रहा है, ठीक है। हमारे पंच महोदय, सरपंच महोदय ने कहा है रायल्टी मिलता है बहुत अच्छी बात है होना चाहिए। लेकिन यहां पर प्लांट की बात नहीं है यहां प्लांट लगायेंगे, बहुत सारा गुलमोहर का प्लांट लगायेंगे। आवंला का पेड लगायेंगे ये लगायेंगे,वो लगायेंगे। आवंला खाने का मौका मिलेगा बहुत अच्छी बात है यहां पर। लाफार्ज कंपनी यहां पर किसी प्रकार का कोई प्लांट नहीं लगाई है। बाकी मैं अपने घर में कई ठोक प्लांट लगाकर रखा हूँ। क्योंकि प्रदूषण होता है हां पर जागरूकता का विषय है मैं जागरूक व्यक्ति हूँ। अपने घर में प्लांट लगाया है। आप अधिकारी होने के बाद भी यहां पर मुआयना करने तो आईये। कोई तो मुआयना करने नहीं आता

है। रोड को देखिये यहां पर बहुत घटिया रोड है यहां पर। जितने हमारे विधायक है जनप्रतिनिधि आगह करना चाहूंगा। एक बार तरौद, किरारी के तरफ जा के तो देखिये। आपको समझ में आ जायेगा कि कितना गड्डा है यहां पर एक्सीडेंट होता है बहुत शर्म की बात है यहां पर। इतना रायल्टी मिल रहा है। इतना रायल्टी से तरौद से मिल रहा है लेकिन रोड को तो देखिये। इतना घटिया रोड है और प्रदूषण तो इतना है यहां पर आप एक दिन तो रह के तो देखिये। वहां पता चल जायेगा। मैं आपको व्यक्तिगत लांछन नहीं लगा रहा हूॅ। आप लोग अधिकारी है वहां पर जाकर तो देखिए। दूसरी बात इतनी बडी लाफार्ज कंपनी खुली है। सब ने कहां कि नौकरी दी जाएगी यहां पर। लाफार्ज कंपनी के द्वारा एक भी मात्र व्यक्ति को नौकरी दी गई है जो रेगुलर कम से कम काम कर रहा हो। इतने साल से लाफार्ज कंपनी खुली पहले रेमण्ड था। ऑनली वन परसेंट को नौकरी दी गई है। बाकि लोगों का बेरोजगारी के रूप में दो चार लोग को रोजी उसके हिसाब से यहां पर कर रहे है। ये बडा दुख का विषय है और बडा दिकक्त का विषय है और मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरा मकान मेन रोड में स्थित है, इतना ज्यादा ब्लास्टिंग होता है कि महोदय जी आप आईये मैं आपको अपने घर के बाहर चाय पिलाउंगा। घर के अंदर तो हिम्मत नहीं है मेरे को, मेरा सेप्टिक टैंक है जहां सेप्टिक इकट्ठा होता है वो क्रेक हो गया है, भसक गया है। स्थिति यह है कि मैं अपने घर में शौच क्रिया नहीं कर सकता। ये दिक्कत का विषय है। मतलब इतना घातक यहां पर ब्लास्टिंग किया जाता है। यहां पर इतना घातक ब्लासिटंग किया गया है उसकी वजह से मेरा मकान क्रेक हो गया है। ब्लास्टिंग की वजह से लेंटर का टुकडा भी गिरता है। एक बार तो मैं मरते–मरते बचा हूॅ। मैं एक फीट की दूरी में रहता तो शायद मैं मवजूद नहीं रहता है। इससे पटवारी महोदय जांच करने आये है और कलेक्टर को भी जा के बता चुके है। हमको आज तक किसी प्रकार से मुआवजा मिला है न कंपनसेशन आज तक नहीं मिला है। केवल नौकरी की बात है तो नौकरी किसको–किसको देंगे। ये तो बता दीजिए। किस हिसाब से देंगे। इसके पहले भी सुनवाई हुई थी। रेमण्ड सीमेंट कंपनी ने आ के सुनवाई की थी। मेरे पास उसकी पूरी पर्ची रखी हुई है। एसडीएम का डिसीजन था कि किरारी के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जायेगी। कितने लोगों को नौकरी दिया। ये तो बता दीजिए। मात्र एक व्यक्ति को नौकरी दी गई है। मैं जनप्रतिनिध से आग्रह करना चाहूंगा कि दूसरे स्टेट के जहां प्लांट खुला हुआ है। बड़ा–बड़ा प्लांट खुला हुआ है। दूसरे स्टेट के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाती है। लेकिन हम लोगों को किसी तरह से नौकरी नहीं दी जाती है। नौकरी अगर दी भी गई है तो मजदूरी के रूप में 200–400 रूपये रोजी रोटी के रूप में मजदूरी करते

है बडा दुर्भाग्य का विषय है। बडा दुख का विषय है। हमको खडा होकर यहां पर बात कहना पड रहा है। हमको यहां खडा होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गांव में आईये न जी कितना सुनवाई करना है सुनवाई करेंगे। अच्छी बात है बढिया राजस्व मिलेगा। इंकम होगा, उसको बेनिफिट तो हमको मिलना तो चाहिए। किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं बन रहा है। मैं कई बार लाफार्ज कंपनी में एप्लीकेशन दे चुका हूँ। मेरी उम्र 50 साल हो गई मुझे आज तक नौकरी नहीं दी गई। वहां पर चाय पिलाकर भेज देते है। ये स्थिति है हमारे पास बडा दुख का विषय है। इस हेतु मैं ये आग्रह करना चाहूंगा। कंपनी यहां पर हॉस्पिटल खोले, क्योंकि मैं तो पेक्ट्रीश करने के लायक मैं तो रहा ही नहीं और दूसरी बात ये कंपनी लाफार्ज कंपनी यहां पर पत्थर खनन के लिए बात चल रही है। मैं आप सभी अधिकारी है मैं ये कहना चाहूंगा कि लाफार्ज कंपनी दूसरे स्टेट के एक व्यक्ति को डाक्टर के पोस्ट में नौकरी दिया था यहां पर और मेरी रोजी—रोटी उससे खत्म हो गई। देखिये मैं किरारी गांव में 16—17 वर्षो से प्रेक्टीस कर रहा था। लाफार्ज कंपनी द्वारा यहां पर डाक्टर बुलाया गया। उसकी वजह से मेरी रोजी—रोटी मार खा गई। आज मैं अपने रोजी—रोटी के लिए पामगढ़ से आना—जाना कर रहा हूॅ अपनी रोजी—रोटी चला रहा हूँ यहां पर। मैं आई एम वेज एज्युकेटेड डाक्टर, कोई झोलाझाप डाक्टर तो नहीं हूँ। इस तरह से लोग यहां पर आकर करते है दूसरे स्टेट के लोग यहां पर आकर मजा मारते है। मैं ये कहना चाहूंगा कि गड्डा आप खोदे, ब्लास्टिंग आप करे, धूल हम खाये, बीमार हम पढ़े, सिलोकोसिस नामक बीमारी को ठीक किया हूॅ यहां पर। दिक्कत का विषय है यहां पर हॉस्पिटल खुलना चाहिए था साथ ही साथ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। लाफार्ज कंपनी से भी मेरा अनुरोध है। साथ ही साथ आप से भी अधिकारी है कितने लोग को लाफार्ज कंपनी ने नौकरी दी, कृपया बताने का कष्ट करेंगे। अध्यक्ष के नाते मैं मांग करता हूॅ कि कितने लोगों को रेगुलर नौकरी कराया गया है मेरे को प्रमाण पत्र देना चाहेंगे। मेरे को बताईयेगा। मेरे गांव के बहुत सारे लोगों का मकान क्रेक हो रहा है कृपया आप एक दिन गांव आईये व भम्रण तो करिये। आप को पता चल जायेंगा कि कितना मकान क्रेक हो रहा है। दूसरा कंपनी मुआवजा देती है साल दो साल इन जितने लोगों का मकान क्रेक हो रहा है। उसका मुआवजा इनको हर साल के साल मिलना चाहिए। साथ ही साथ जितने जो भी बीमार पढ़ रहे है हर किरारी गांव के नागरिकों के लिए हर साल कहीं न कहीं से पैसा का व्यवस्था करना चाहिए।

10. **श्री आकाश यादव, झिरिया यादव समाज का प्रदेश अध्यक्ष** :— खदान खुलना चाहिए। सभी को रोजगार मिलेगा। मैं समर्थन करता हूॅ।

11. श्री घनश्याम लाटा, ग्राम–किरारी :– पर्टीकुलर जिस जमीन के लिए जन सुनवाई हो रही है सर, वो प्लांट मेरा देखा हुआ है। चारो तरफ क्रेशर, खदान है। उसके बीच में ये प्लाट है। मेरे हिसाब से इस जमीन के लिए आपत्ति करने लाईक कोई औचित्य बात ही नहीं हैं, ऑल रेडी चारो तरफ क्रेशर व खदान है। ये प्लाट बीच में है। तो इसमें आपत्ति करने का कोई औचित्य ही नहीं है।

12. श्री अभिषेक मिश्रा, आम आदमी पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री :– मेरे से पहले बहुत सारे लोग अपनी–अपनी बात रख रहे थे। लेकिन अभी तक जो सुनने में आया है। और लगातार मैं भी 1 घंटे से जन सुनवाई को सुन रहा हूॅ। उसमें ऐसा लगता है कि ये जन सुनवाई बगैर सुने किसी को सीधा–सीधा संबंधित पक्ष को लाभ देने के लिए रखी गई है। अगर वास्तविकता में आपको जन सनुवाई में लगता है कि ये न्याय संगत होवे मैं समझता हूॅ एकपक्षीय जो अपना माइंडसेट है, इसको न रख के अपना माइंडसेट है दिल अपना बडा रखना चाहिए। दिल अपना बडा रखना चाहिए। खासकर के जो प्रशासन के अधिकारी आये हुए है। हम लोग क्या है भैया गवार आदमी है, पढे लिखे नहीं है। मैं खुद किसान हूॅ, किसान ही एक ऐसा धंधा है। किसानी करते–करते दिमाग घुटने में आ जाता है। हम लोग का बुद्विि हम लोग समझते ही नहीं है। इतना जरूर समझते है कि शाम को दो रोटी कहां से आईगी। पीने के लिए पानी कहां से आयेगा। खेत के लिए पानी कहां से आयेगा। इस चीज को अच्छा से पढे लिखे आदमी भी जरूर समझते है। अभी जन सुनवाई में अभी जो भाई साहब है जो कि बोल रहे थे कि प्लांटेशन होगा, ये होगा, वो होगा। मैं समझता हूॅ 80–100, 100 क्रेशर यहां पर चल रही है। कही तो आधा एकड का प्लांटेशन हो। कहीं 20–25 पेड जिंदा दिख जाये। मतलब कोरा झूठ जो है हम लोग पढते थे। कोरा झूठ कैसे किताब में पढ़े कि वो फलाना झूठा वो 420, ये तो मतलब 420 की कथा लिखी जा रही है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। मानलो, हम तो पेड़ लगायेंगे। इससे पहले इतने क्रेशर लगे है इतने उद्योग लगे है। क्या हो रहा है। आज यहां जितने भी लोग बैठे है। आप में से कोई भी खड़ा हो के मेरे को ये बता दे। किरारी में एक कोई सीबीएससी स्कूल होगा तो। किरारी, अकलतरा के बच्चे आसपास के किरारी पढने जाते है क्या कोई भी एक बच्चा जाता होगा। करोडो रूपये का रेवेन्यू किरारी से चल रहा है। साल में लगभग 80 करोड़, 90 करोड़ 100 करोड़ जनरेट होता होगा। एक सीबीएससी स्कूल आज तक के यहां नही बना। आज भी वहां के बच्चे पढने के लिए अकलतरा आने को मजबूर है, लफार्ज जाने को मजबूर है और मैं यहां बताना चाहता हूॅ अधिकारी वर्ग को यहां

के बच्चे एनटीपीसी, सीपत जाते है, पढने के लिए। नई जाते है क्या बताओ मेरे को। एनटीपीसी सीपत भी तो प्लांट है भाई कोई तो चला रहा है उद्योग 2750 मेगावॉट का प्लांट है। यहां तो 3600 का प्लांट लगा कर बैठे है। इनकी हिम्मत नहीं है कि 4 कमरे का स्कूल चला के दिखा दे। बात करते है लंबा–चौडा। अस्पताल की स्थिति क्या किसी चीज को बताये। अपना रोना किसको बताये सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला कोई नहीं है। अस्पताल की स्थिति किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सीएसआर मद जो होता है। सीएसआर मद का मेरे को किरारी में एक भी काम कोई भी अधिकारी मेरे को बताये। सीएसआर मद में 5 कमरे का अस्पताल मेरे को बता दिजीए। यहां 5 कमरे का अस्पताल हो जिस किसी का पैर टूट जाये उसको ले जा कर एडमीट कर दे, न अस्पताल है, न स्कूल है, न रोड है, न सडक है। न पेड है। काहे का जन सुनवाई, और पानी की बात कर रहे थे। ब्लास्टिंग करने से जो बारूद है लगातार वो ग्राउंड वॉटर को पालुटेड कर रहा है। आपको मालूम है अकलतरा नगर जो है लगातार पानी की कमी से जूझ रहा है। अकलतरा की स्थिति ये है कि गर्मी में पीने के लिए पानी नहीं है। आप माईनिंग करते जा रहे है, करते आ रहे है इससे जो ग्राउंड वॉटर है उसके साथ आपके एक और चीज बताना चाहता हूँ कि खदान गहरी होती है। उसके बाद वो राखड वाले आ जाते है। अपना–अपना हाईवा और राखड पाटने के लिए। पहले मतलब बुजुर्ग लोग तालाब खोदवाते थे कि ग्राउंण्ड वॉटर बढना चाहिए। कुआं खोदवाते थे आज ये स्थिति हो गई है। प्रशासन के साथ मिलकर के खुदे हुए तालाब, कुंआ, ओपन जो माइंस है, हम लोग नहाते थे धोते थे अपना जीवन यापन करते थे। उन सब ओपन माइंस को राखड के माध्यम से पाट पाट के बर्बाद किया जा रहा है। मेरे को तो नहीं लगता कि यहां जन सुनवाई की जरूवत है। अभी कई लोग बोल रहे थे कि वो भाई वो माईनिंग एरिया है। **(बंद करो, बंद करो के नारे लगाये गये, किरारी में जन सुनवाई करना था के नारे लगाये गये)** आज की जन सुनवाई को कैंसल किया जाये सर। गांव में रखवाईये आप। हम स्वागत करेंगे इनका। गांव में रखवाईये। हम खुद स्वागत करेंगे। जन सुनवाई कैंसल की घोषणा कर दे। आज की जन सुनवाई रद्द की जाती है की घोषणा कर दीजिए।

जन सुनवाई बंद करो, बंद करो, गांव में कराओ, जन सुनवाई गांव में कराओ, कह कर नारा लगाया गया।

13. **श्री दिलेश्वर विश्वकर्मा, शिवसेना जिलाध्यक्ष जांजगीर–चांपा** :– मैं आप मन से विनम्र निवेदन करत हव साहब, जेमा हमर क्षेत्र से आये हुए समस्त भाई मन जो

बोलत हे वो मांग ला पूरा करा जाये साहब। आज जन सुनवाई के कार्यक्रम रखे हे साहब। मोर ख्याल से गिने चुने व्यक्ति ही यहां समर्थन में है साहब। निरस्त करके वहां किरारी में क्यों नहीं रखना चाहिए साहब। मैं ये पूछना चाहता हूॅ। हमारे किरारी क्षेत्र में इतना सारा क्रेशर संचालित है। एक भी क्रेशर संचालको के द्वारा नियम के तहत् मापदण्ड के तहत किसी भी संचालक के द्वारा नहीं किया जाता है साहब। अभी आप बाईक में चलिये तरौद से किरारी तक चल के दिखाईये मुझे साहब। चल के दिखाईये साहब मुझे। इतना प्रदूषण है हम स्थानीय लोग इतना प्रदूषण झेलते है। किरारी के बच्चे लोग साईकिल से यहां पैदल चल के आते है उन बच्चों को आने जाने की सुविधा तो दिलवाईये साहब। यहां पर फॉरमेल्टी निभाने के लिए जन सुनवाई नहीं होना चाहिए साहब। आप सब लोग से हाथ जोड के निवेदन है कि **पर्यावरण विभाग होश में आओ, जन सुनवाई निरस्त करो, निरस्त करो के नारे लगाये गये। जन सुनवाई निरस्त करो, निरस्त करो, के नारे लगाये गये।** क्रेशर में जितने भी वर्कर है आज तक धूल के लिए संचालको को आज तक एक भी वकरो को मजदूरो को नहीं दिया जाता। न तो यहां सुरक्षा मुहैया भी नहीं कराया जाता साहब। मजदूरो का हादसा से उनका मौत हो चुका है साहब। किसी को डयूटी करने का समय नहीं है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा साहब अभी तो क्रेशर संचालक के लिए आप जन सुनवाई रखे हो। क्या स्थानीय लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा साहब। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा बताईये साहब। आज आप सर्वे कराईये जितने लोगों का वहां पर लगा है क्रेशर वहां संचालको को वहां पर सिर्फ बहारी लोगों को रोजगार दिया गया है और हम छत्तीसगढीयों को सिर्फ गिट्टी उठाने का काम दिया गया है साहब। ये बिल्कुल गलत है। आज का जन सुनवाई बिल्कुल निरस्त करके किरारी में ही जन सुनवाई होना चाहिए। मुनादी के साथ होना चाहिए साहब।

पर्यावरण अधिकारी होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आकर काम करो काम करो, काम करो के नारे (मोहम्मद इमरान, अकलतरा) द्वारा नारा लगाया गया।

14. **श्री रामअवतार कश्यप, शिवसेना जिला महासचिव** :– आज ग्राम किरारी मा क्रेशर ला तो आप मन आदेश दे था मगर ओखर गांव के स्थिति ला, गांव के रहने वाला ही सोचही, का बर कि हमला पानी चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए। हमन पूरा जितका भी प्रदूषित होवत हे तेला हमन करत हन। लेकिन हमन ला इतका कन दुख हे, आज किरारी में 100 ठीक हैण्ड पंप होही, खदान के चलते हुये 10 हैण्ड

पंप से पानी नहीं निकलत हे। काहे क्यो पानी नहीं निकलत हे, लेकिन बहुत बडे समस्या हे आ के देखिहा पानी बर हमन बहुत दिक्कत होवत हे। ये क्रेशर के मैं फूल विरोध करत हव।

(मोहम्मद इमरान, अकलतरा द्वारा बीच–बीच में नारे बाजी जन सुनवाई निरस्त कर दीजीये बोला गया। जन सुनवाई बंद करो, बंद करो के नारे लगाये गये।

15. श्री संतोष कुमार कश्यप, ग्राम–किरारी :– मैं छोटा सा धंधा करता हूॅ कपडे का रोड में है मेरा मकान, आप लोग तो साहब खदान, क्रेशर सब को लीज में दे देते हो, परमीशन दे देते हो। परमीशन देकर आप एकदम निशिचित बैठ जाते हो साहब। उसके बाद गांव वाले को कितना झेलना पड रहा है मैं बता रहा हॅू। मेरा एक मकान है वो एकदम टूटने के कगार पर है और मेरा ही नहीं गांव में कम से कम 50 घर है जो टूटने के लायक है। ब्लास्टिंग ऐसा होता है साहब हम लोग घर में बैठे रहते है। तो छत हिलने लगता है, पंखा हिलने लगता है। ऐसी पंखा हिलते वक्त किसी वक्त घर का छत गिर जाये। इसके जवाबदार कौन होगा सर। भूंकप आयेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये लोग बोलते है पानी का छिडकाव, कोई भी बता दे कि गांव में पानी का छिडकाव होता है क्या एक विडियो बता दे, पानी का छिडकाव होता है क्या, या कोई पब्लिक से पूछ ते गांव के, कि गांव में कभी भी पानी का छिड़काव होता होगा तो, इतना धूल–डस्ट उडता है आदमी बीमार है बहुत ज्यादा बीमार है गांव में, पानी/स्वास्थ्य का समस्या है गया खदान है, क्रेशर है कोई खदान, क्रेशर एक भी डाक्टर बैठाया है क्या? बता दीजीये कोई भी एक डाक्टर बैठया है। हम लोग को थोडा सा भी बुखार होता है तो यहां 8 किलोमीटर अकलतरा आना पडता है। बताईये सर इतना समस्या को झेलते है। उसके बावजूद भी आप लोग बोलते हो और खोलो, और खोलो। कितना खोलेंगे आप और एक छोटी सी एक बात गौण खनिज की बात कर रहे थे कुछ महोदय पढे लिखे महोदय वो पढे–लिखे महोदय बता दे मेरे को ज्यादा दिन का अनुभव तो नहीं है। 15 साल माने तीन पंचवर्षीय को जान रहा हॅू। तीन पंचवर्षीय में गांव में कितना करोड खर्चा गांव में हुआ है, कितना खर्चा हुआ है और गांव का हाल क्या है। अगर जन सुनवाई होना था तो हमारे गांव में होना था गांव/गांव के किसान तो समझते ये किस लिए जन सुनवाई है? हमारे गांव के बुजुर्ग कोई भी बुजुर्ग आये है क्या? मुनादी हुआ है? मुनादी हुआ है? हमारे गांव मे तो ऐसा क्यो करते हो साहब? आप लोग ही जिम्मेदार हो, वो लोग जिम्मेदार नहीं है जिम्मेदार उन लोग नहीं है आप लोग जिम्मेदार है। आप लोगों के पनाह में सब कुछ हो रहा है। और बोलू अभी और बाकी है। अभी और आयेंगे मेरा भी बात बचा है। बहुत अच्छे तरीके से बोल

रहा था महोदय गौण खनिज के राशि से इतना बडा डेव्हलपमेंट हो रहा है, कितना बडा डेव्हलपमेंट हो रहा है वो किरारी वाले से पूछो और पूछने के बाद कुछ ग्रामीण वहां शिकायत किये थे उनका जांच क्यों नहीं कराते आप? जांच क्यों नहीं कराते। जांच तो कराईये साहब। तब तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है? उसको शिकायत कर रहा है तो उसको केश कराके अंदर कर रहे है। अगर गांव के जनहित के लिए मेरे को अंदर भी जाना पडेगा तो मैं जनहित में अंदर भी जाऊंगा हम लोग आपके पास शिकायत किये है कि जांच कराओ आप करके, हम लोग 2022 से आवेदन कर रहे है जांच क्यों नहीं होता साहब? जांच करवाऐंगे साहब, कब करायेंगे? कब करवाईंगे? कब करवायेंगे? ये तो बोल दो। वही तो बात हुई। हम लोग विरोध ऐसी ही नहीं कर रहे है कि गौण खनिज का राशि नहीं आना चाहिए। उसका उपयोग तो सही से होना चाहिए। उपयोग जो मिल रहा है उसका उपयोग तो सही से होना चाहिए। आप तो बड़ी अच्छी तरीके से बोल रहे है कि मिल रहा है। वास्तविक में मिल रहा है कि नहीं सही में तो देखों। क्या है आप समझेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है आप समझेंगे। लेकिन पब्लिक का दुख तो समझो। 300, 400 व 450 सौ फीट बोर हुआ है उसके बावजूद भी पानी नहीं निकल रहा है। ये समस्या है साहब, ये जन सुनवाई किरारी में होना चाहिए। गांव वाले समझे, गांव वाले बुजुर्ग तो समझे।

16. **श्री मेडीराम कश्यप** :— मैं इस खदान खुलने का घोर विरोध करता हूॅ। कोई विकास नहीं हो रहा है कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, शिक्षा में भी, चिकित्सा में भी कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, हम किसानों की ओर से मैं पूर्ण विरोध करता हूॅ जन सनुवाई किरारी में होना चाहिए।

17. **श्री राघवेन्द्र व्यास, ग्राम—नरियरा** :— एक क्रेशर खोलना है कि नहीं खोलना है उस बारे में बाद में बात करूंगा। अकलतरा ब्लॉक में पहले स्थिति क्रेशर है पर्यावरण वाले उसमें आज तक काम किये है सिर्फ जन सुनवाई करने आते है आप लोग या यहां पर जो जिला प्रशासन के अधिकारी है उनसे प्रश्न करना चाहता हूॅ। कि आप अकलतरा ब्लॉक में सबसे ज्यादा फैक्ट्री, सबसे ज्यादा क्रेशर, सबसे ज्यादा राईस मिल है। मतलब ये है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर जांजगीर जिला में है, कोई तो अकलतरा ब्लॉक है। आपने आज तक अकलतरा ब्लॉक के लिए क्या किया है, अगर आपके पास कोई होगा हमने 5 साल में पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण विभाग के अधिकारी है। इनको दर्शन नहीं देना है 5 साल, और इनको डर लगता है कि इनकी भी मजबूरी है, इनको जनसुनवाई

करना लेकिन किसी को कोई फिकर नहीं है कि अकलतरा ब्लॉक बर्बाद हो जाये बच जाये। आज हर जगह पायजन है अकलतरा में, अकलतरा ब्लाक में केएसके पॉवर प्लांट, लाफार्ज पॉवर प्लांट जब तक जितने भी राईस मिल, जितने क्रेशर के लिए कुछ विशेष कड़ा कानून नहीं बनायेंगे। अकलतरा ब्लॉक नहीं बचने वाला हम लोग एक दिन का विरोध करेंगे। हर आदमी आज स्वास की बीमारी से ग्रसित है। वो स्लो पायजन है आपको दिखता नहीं है। वो दिखता है आज चार लोग एक्सीडेंट में मर गये, आज जहर खाने से मर गये। स्लो पायजन है आपका पर्यावरण पहले तो आप तय करीये कि यहां पर एक इंच किसी को परमीशन देने की जगह नहीं है। किसी भी विषय में पर्यावरण पर, आप भूल गये एक प्लांट क्या छोटा सा प्लांट के लिए भी परमीशन तक नहीं है। तो धन्यवाद मैं निवेदन करूंगा, जिला प्रशासन से पर्यावरण विभाग से पहले आप ये जन सुनवाई करने से पहले इस गांव को बचाने के लिए योजना बनाईये। आप कहां–कहां योजना बनाके गांव को सुरक्षित रख सकते है, धन्यवाद।

18. **श्री केदार प्रसाद कश्यप, ग्राम पंचायत किरारी :–** मैं ये संयंत्र लगे का पूरा विरोध करत हाव।

(मोहम्मद इमरान, अकलतरा द्वारा जन सुनवाई बंद करो, बंद करो के नारे बाजी किया गया।)

19. **श्री मनोज भारद्वाज अमरताल** :– ग्राम किरारी से होते हुए कापन तक बच्चे स्कूल आते है। रोड इतना जर्जर कर दिया है कि क्रेशर के, खदानों के ट्रक में रायल्टी के चक्कर में बचाने के चक्कर में नहर से भागते है इतना गड्डा कर दिया है कि पूछो मत। बच्चे धूल खाते हुए स्कूल तक पहुंचते है। कॉलेज जाते है, सरस्वती शिशु मंदिर व कन्या शाला में पडते है। इतना खराब हो चुका है। रही बात किरारी ग्राम के मजदूरो को क्रेशर में काम मिला है। मजदूरी वाला काम मिला है, 200–400 रूपये वाला काम मिला है। काम करके पैसा से बच्चो के लिए मोबाईल खरीदते है लेकिन उसी क्रेशर के जोरदार धमाको से वहीं मोबाईल व टीवी उड जाता है। आप जाकर देखो 80 प्रतिशत मोबाईल दुकान में किरारी ग्राम के ही मोबाईल एवं टीवी रिपेयरिंग के लिए जाते है। जो हमारे घर के छतो को, मोबाईल को, टीवी को धमाको से उडा दे रहा है, कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं इसका खुलकर विरोध करता हूँ। क्रेशर वाले गद्दार नहीं है और प्लांट वाले गद्दार नहीं है। गद्दारी करते है प्रशासन के लोगों ने बिना मुनादी गांव में कराये और चोर की तरह यहां इंदिरा उद्यान में जन सुनवाई कर रहे है। ये चोरी का बात है मतलब आप हम लोग

को इससे अच्छा है हम लोगों को गोली मरवा दो। यहां पर कोई मतलब नहीं है चोरी की तरह जन सनुवाई करने का। मैं इनका पूर्ण रूप से विरोध करता हूॅ।

20. **श्री उमाकांत भारते, महामंत्री भाजपा, अकलतरा** :— किरारी में खदान क्रेशर, खोलने के लिए आज अकलतरा के इंदिरा उद्यान में आज जो ये पर्यावरण विभाग का जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जा रहा है वो औचित नहीं है। मैं आपको बतला रहा हूॅ कि इससे पहले अनेक प्रकार के खदान और कोई अन्य प्रकार के संयंत्र के लिए अकलतरा में ही जन सुनवाई किया जाता है और इसमें हम बदनाम अकलतरा वाले हो जाते है। लोगों का कहना ये रहता है कि अकलतरा वाले पक्ष में बोल देते है। पूरा गांव वाले के बीच में हम लोग बदनाम हो जाते है। आपसे हमारा आग्रह है निवेदन है संबंधित स्थान जहां है जहां ये प्लांट खुलने वाला है। वहां पर आप जन सनुवाई जाकर कराईये, वहां के पब्लिक को लेकर वहां के लोगों को बीच में बैठ कर के सामज्स्य करने का प्रयास कीजिए। अकलतरा को आप बदनाम करने का प्रयास आप मत कीजिए। आप लोगों से हाथ जोडकर बिनती करता हू इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, रही बात परेशानी की, तो सर ऐसा भी प्रदूषण बहुत हो चुका है और किरारी वाले के तरफ से मेरा आग्रह है कि वहां पर हमारे को किसी प्रकार का खदान व क्रेशर नहीं चाहिए। छापरिया क्रेशर के सामने से गुजरते है, पूरा धूल रहता है, सामने से कौन आ रहा है प्रदूषण के नाम से कुछ नहीं दिखता। सर आपको एक और जानकारी प्रदान करना चाहता हूॅ, खदान खोद कर अपना गिट्‌टी, अपना पत्थर खोदकर करोड़पति बनकर चले जाते है। खदान खुला छोड़ देते है। मालूम होगा अभी 2 दिन पहले समाचार पत्र में छपा था कि एक एम्बुलेंस खदान में गिर चुका है, गिर गया है। इस टाईप से बहुत से चीजे होती है। और हम लोग बदनाम होते है अकलतरा वाले, पास कर देते है समर्थन कर देते है, तो पैसा लेकर बिक जाते है। मेरा आपसे निवेदन है बिनती है कि आप जन सुनवाई को लेकर वही चले जाईये, वहां किरारी में सामजस्य बैठाईये और किरारी में कराईये, और नहीं लगता है तो यहां इतने लोग है यही एक—एक करके पर्ची देकर वोटिंग करा दिजीये कि कौन पक्ष में है और कौन पक्ष में नहीं है। यही सामने में, बाकी हम सब सहमत है। सर इसके पहले 10 ठोक हो चुका है।

21. **श्री महेश्वर प्रसाद टंडन, विधायक प्रतिनिधि, ग्राम—अकलतरा** :— जन सुनवाई के मामले अकसर पढते है, सुनते है, जानकारी है कि जहां खदाने खुली है वहां कम से कम मुनादी करके कोटवार के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, वहां प्रत्येक घर में जानकारी दी जाती है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। किरारी के लोग आपत्ति कर रहे

है, क्योकि आपत्ति होती है। साथ ही अगर क्रेशर–खदान कुछ भी खुली है तो उस गांव के सरपंच को, जिला पंचायत के लोगों को वहां जाके वहां करानी चाहिए। इस जन सुनवाई को यहां नहीं। अकलतरा कुछ वक्ताओं ने कहां अकलतरा के लोगों को कुछ आपत्ति है। वहां लोगों को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूँ उसी गांव में, उसी घर में क्रेशर खोल दिया है और वही धूल खाते रहे। विधायक राघवेन्द्र कुमार सिंह के यहां कुछ हफ्ते पहले किरारी के लोग गये हुये थे। वहां डायरिया फैल गया था। एक घुरूवा का पानी पूरे गांव किरारी में बोरिंग के माध्यम से डायरिया फैल गया था। तो माननीय विधायक के सामने गये थे माननीय विधायक जी ने पूछा क्या पैसा है क्या बोर कराने के बोले पैसा नहीं है। लेकिन कुछ ही 10 दिन बाद वहां पर 20 बोर का खनन किया गया। मैने अखबार में पढा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय हमारे प्रशासन के आये हुये गेस्ट से किरारी गांव में डायरिया के उपचार के लिए पर्याप्त पानी का व्यवस्था न होना, और जो वहां डायरिया में मर रहा है वो बीमारी से ग्रसित होना यह किस हद तक सही है। मैं आज तरौद से किरारी पहुंचना पडेगा तो कम से कम 1 घंटा लगता है। आगे में शराब भट्ठी, आगे में पेट्रोल पंप, आगे में नहर का गड्डा यहां इतने गड्डे है। लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं हो सका। रायल्टी पैसा बहुत आता है, कहां जाता है भगवान मालिक है? मैं आपत्ति करता हूँ कि आज क्रेशर खोलना है, गिट्टी खदान खोलनी है। उस किरारी गांव में खोले और वही के गांव वालो को बुलाकर जन सुनवाई करें। यहां के रहने वालो को बदनाम न किया जाये और शासन अपनी भूमिका जैसे यहां जितने भी लोग बैठे है उनकी बातो को अमल करें और मुझे इस क्रेशर–खदान खुलने से आपत्ति है।

22. **श्री रामदुलारे उपाध्यक्ष नगर पालिका, अकलतरा** :– हम लोग ज्यादा पढ़े–लिखे नहीं है। हम लोग किसान है, किसान लोग से गुजरे हुये है और जन प्रतिनिधि है तो जनता के द्वारा निर्वाचित एक सदस्य होता है। दूसरा भी सदस्य एक लोकल होता है। एक बार जीतता है हमारे यहां नगर पालिका में भी जिता गया है लगातार। ये नगर पालिका का क्षेत्र में सुनवाई का विरोध करता हूँ। जिस जगह में जिस जगह में ये लोग प्रभावित होने वाले है। या लाभांवित होने वाले है। वहां अभी तक कितना क्या है? कैसा है? वो लोकल लोग बतायेंगे। जिस तरह से बताये है आज निश्चित तौर पर खेती का है, आप लोग जान रहे है, आपको जानकारी है। ब्लास्टिंग भी जान रहे है, जिस तरह से शांति से निपटा देते है। मैं पूर्णतः इसका विरोध करता हूँ। नगर ग्राम किरारी और आमजन या आसपास जाकर वहां लेकर करें। पुरजोर विरोध करता हूँ, यहां की जन सुनवाई का।

23. श्री शिवचरण नामदेव, किरारी :–क्रेशर खदान खुलने का विरोध करता हूँ।

24. श्रीमती हेमलता सोनी, पामगढ़ :– मैं किरारी में जो खदान खुलत है ओखर पूरा विरोध करत हव। सर अतका लईका मन रेंगत आवत हे, धूल–धक्कड़ में पूरा परेशान होवत हे। बीमार भी पडत हे, स्कूल भी नहीं जावत हे। ओखर मुआवजा, आप मन क्या करत हव। आपमन तो साईन करके चल देथा, वो मन तो खोल लेथे खदान, ओखर जिम्मेदार कौन होवत हे। क्या किसान गरीब, ऐखर मोला बता देवा इतका ला मै ये ही सुनना चाहत हव। क्या आप मन घुस लेवत हव। पैसा मिलत हे आप मन ला। बतावा यहां, आप मन ला पैसा मिलव हव का? आप मन तो ले लेथा 5 लाख, 10 लाख जो मिल जाथे, लेकिन हमर गरीब मन ला का मिलत हे, का ओखर धूल–धक्कड, बीमारी, बाताओ मोला, एतका सुनना चाहत हव? का सरपंच, सचिव, कि जो कलेक्टर है ऐला मिलत हवय का? कौन ला मिलत हे, ऐखर लाभ ला बता देवा मोला। अगर खदान खोल के बैठा था ऐखर लाभ? किसान मन ला कितना होवत हे? कि आप मन ला कतका होवत हे, बतावा सर? यही सच्चाई हे सर अगर हम टाईम निकाल के चल देथन, जो खोलत है उद्योग क्या चीज हमन ला देथे। अपन ला भविष्य बनालिस, अपन लईका मन के बनालिस, अपन चार पीढी के बनालिस, लेकिन हमन के का बनिस। मै एतना पूछना चाहत हव, जो भी खोलत है आप से परमीशन मांगत हे, आप मन जन सेवा लगा दे हा, हमलन ला ओतके का मिलत हे उतना बतावा। क्या फायदा मिलत हे, हमर पीढी ला का फायदा मिलत हे? जो वर्तमान में चलत हे ओला का फायदा मिलत हे? का तकलीफ मिलत हे, ऐई तो मिलत हे, कुछ नहीं मिलत हे, हमन बेटी ला पढा थन, बेटा ला पढाथन, का धूल–धक्कड खवाये बर पढा थन ओखर ओला, गुजरा आवा हमन कमा–कमा के लावतथन। चार रूपया रोजी हाजरी करके, ओमन ला लावत हन क्या। बातावा, ऐईच ला मोला बतावा, बतावा ना क्या करना चाहिए हमन ला, ओखर विरोध करना चाहिए कि ओला समर्थन देना चाहिए।

25. कुमारी सुनैना टंडन, :– किरारी गांव में जो केशर को खोल रहे है उसको बिल्कुल बंद किया जाये।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा तथा प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने

का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात् 1:10 बजे अपरान्ह अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 03 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 25 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 150–200 व्यक्ति उपस्थित थे। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

प्र. क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)